



आर.ई.ओ.- 113

**जोधपुर  
विद्युत वितरण  
निगम लि०**

(राजस्थान सरकार का उपक्रम)

न्यू पावर हाऊस, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, जोधपुर-342 003 फोन नं. 0291 2651227 (का) फेक्स नं० 2651313  
क्रमांक:- प्रनि/जोविनिनिलि/अनु-पीपीएम/पत्रा०सामान्य /प्रे०सं० 2489 जोधपुर,दिनांक. 22/1/05

**आदेश**

कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.09.2004) के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार कृषि आवेदकों को कृषि कनेक्शनो के मांग पत्र में वरियता/प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है। प्रायः यह देखने में आया है, कि क्षेत्रीय अधिकारी आवेदकों को कृषि कनेक्शन जारी करते समय भी इस प्राथमिकता अनुसार वरियता देते हैं।

इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि कृषि कनेक्शन नीति-2004 (संशोधित 18.9.2004) के बिन्दु संख्या 7 में वर्णित विभिन्न प्राथमिकताएँ केवल मांग पत्र जारी करने के लिए ही हैं। अतः सामान्य श्रेणी के आवेदकों के मांग पत्र जमा होने पर बिन्दु संख्या 7 में वर्णित सभी वर्गों के आवेदकों की कार्यादेश आदि जारी करने की वरियता मांग पत्र जमा होने/एल.फार्म प्राप्त होने के अनुसार रहेगी।

(एच.एस.देवड़ा)

मुख्य अभियन्ता (सी.पी.एम)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर।